



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 175/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
रामबाबू शर्मा ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जे-9, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 निर्णय

दिनांक : 12-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नीलकमल, उप अधीक्षक पुलिस, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 19-5-17 के द्वारा फैक्स द्वारा प्रेषित परिवाद दिनांक 14-9-16 एवं 29-6-16 को पंजीकृत डाक से प्रेषित शिकायत पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 31-5-17 से संसूचित कर दिया गया था कि परिवाद संख्या एच-3758/2016 दिनांक 23-8-16 दर्ज कर परीक्षणोपरान्त (बिना जांच किए मूल ही) पत्र दिनांक 28-9-16 से जिला कलेक्टर, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया था। तदनुसार प्रथम अपील भी अपीलीय निर्णय दिनांक 22-8-17 से खारिज कर दी गई।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो

अभिलेख पर उपलब्ध हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी की वांछनानुसार कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

8. अभिलेखानुसार अपीलार्थी संसूचित है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त